



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244970
CG-DL-E-06042023-244970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1566]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 5, 2023/चैत्र 15, 1945

No. 1566]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023/CHAITRA 15, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2023

का.आ. 1645(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राजमार्ग संख्या 365 बी बी कि.मी 49.860 से कि.मी 51.540, तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-365BB पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेनुए डिविशनल ऑफिसर, कोव्वूर ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-365BB	आंध्र प्रदेश	ईस्ट गोदावरी	ताल्लापुडी	1 ताल्लापुडी
						2 पीडिमेटला

		के कि.मी. 49.86 से 51.54 तक			गोपालापुरम	1 दोनदापुडी
--	--	-----------------------------------	--	--	------------	-------------

[फा. सं. REV02/341/2022-LAND SEC]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th March, 2023

S.O. 1645(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from km. 49.860 to Km. 51.540 and of NH-365BB in the District of EAST GODAVARI in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-365BB in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer, Kovvur	49.86KM To 51.54KM	ANDHRA PRADESH	EAST GODAVARI	Tallapudi	1 Tallapudi 2 Pydimetla
					Gopalapuram	1 Dondapudi

[F. No. REV02/341/2022-LAND SEC]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.